जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./11/डी–93 दिनांकः–24/1/12

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 86वीं बैठक दिनांकः 11.01.12 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		86:1	**प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति** निस्तारण समिति की 85वीं बैठक दिनांक 23.11.11 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 52वीं से 85वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 85वीं बैठक दिनांक 23.11.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 85वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया व 52वीं से 85वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बकाया अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा सचिव स्तर पर की जावे व अवशेष अनुपालना जोन स्तर से पूर्ण कराई जावे।
2.	3	86:2	श्री वर्धमान स्थानक जैन श्रावक संस्थान लालकोठी, जयपुर को सामाजिक कार्यो हेतु भूखण्ड सं. डी–14 व 14ए, ज्योतिनगर लालकोठी योजना क्षेत्रफल 611.16 वर्गमीटर आवंटन बाबत।	संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था औषधालय, धर्मशाला, पुस्तकालय, नशा मुक्ति व भ्रुण हत्या रोकने बाबत शिविर आयोजित करने व विकलांग व्यक्तियों के सहायतार्थ सेवा कार्य करने हेतु भूखण्ड का आवंटन चाहती है। उपायुक्त द्वारा भूखण्ड सं. डी–14 व 14ए, ज्योतिनगर लालकोठी योजना क्षेत्रफल 611.16 वर्गमीटर का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर करना प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प–3(786)नविवि/3/2011 दिनांक 30.09.11 के संदर्भ में निर्धारित चैक लिस्ट में आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
3.	10	86:3	अजमेर रोड की मुख्य सडक पर ग्राम मदरामपुरा तह0 जयपुर के खसरा नं. 95/1 की नीलामी हेतु आरक्षित भूमि से हटाये गये अतिक्रमण के कारण विस्थापित श्री गणेश कामथ को एफ–56 पालडी मीणा के स्थान पर 334 ऋषिगालव नगर के आवंटन की दर निर्धारण बाबत।	समिति द्वारा ऋषिगालव नगर की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 1/4 राशि पर भूखण्ड का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	9	86:4	आवासीय भूखण्ड सं. ए–235, टीलावाला योजना के स्थान पर बी–10बी का विनिमय में आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार श्रीमती अंजना गोयल को भूखण्ड सं. ए–235 के स्थान पर भूखण्ड सं. बी–10बी क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर विनिमय करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

5.	9	86:5	रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड सं. सी–51 का बढा हुआ क्षेत्रफल 80.01 वर्गमीटर का आवंटन बाबत।	श्री इन्द्र कुमार दीक्षित को रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड सं. सी–51 का बढा हुआ क्षेत्रफल 80.01 वर्गमीटर का आवंटन योजना क्षेत्र की अन्तिम नीलामी से विक्रय किये गये भूखण्ड की दर व आवासीय आरक्षित दर की दूगुनी दर में से जो भी अधिक हो, पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	9	86:6	अन्तार्राष्ट्रीय पदक विजेता श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित भूखण्ड 265.80 वर्गमीटर का है। क्या बढा हुआ 45.80 वर्गमीटर क्षेत्रफल पडोस के अन्य भूखण्ड में शामिल किया जाकर नीलाम किया जा सकता है ? इस ब्रिन्दु पर परीक्षण कर प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।
7.	4	86:7	महावीर नगर योजना में स्वच्छ जलाशय एवं उच्च जलाशय के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	महावीर नगर योजना में स्वच्छ जलाशय एवं उच्च जलाशय के निर्माण हेतु महावीर नगर योजना के सुविधा क्षेत्र के दक्षिणी–पूर्वी कोने में उपलब्ध 21.50 मीटर X 30 मीटर भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव,
प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.), जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूनि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 86वी बैठक दिनांक 11.01.12 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	**श्री कुलदीप रांका, आयुक्त**	**अध्यक्ष**
2.	श्री राजन विशाल , सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एन.के. खरे निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सुण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री ओ.पी. गुप्ता अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
9.	श्री राम बाबू शर्मा, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री गिरीश पाराशर, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
11.	श्री नरेन्द्र मोहन माथुर, उपायुक्त जोन–3	विशेष आमंत्रित
12.	श्री औंकार मल सैनी, उपायुक्त जोन–9 व 10	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती ज्योति चौंहान, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
14.	श्री मदन लाल, तहसीलदार जोन–7	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित